



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग (राज0)
(जिला न्यायालय परिसर, डीग)

ई-मेल :-dlsa39deeg@gmail.com

क्रमांक : 43

दिनांक :- 23.03.26

-:विज्ञप्ति:-

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ-7 (136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2026/156 दिनांक 10.03.2026 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ-7 (136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2026/195 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक अथवा नियमति भर्ती होने तक, जो भी पूर्व में हो) के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कार्मिक प्रतिनियुक्त पर सेवाएं निम्न प्रकार ली जानी है:-

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
2.	तालुका विधिक सेवा समिति, कामां		01
3.	तालुका विधिक सेवा समिति, नगर		01
		कुल योग	04

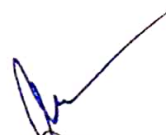
समान्य निर्देश:-

- उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबंध पर सेवा के आधार पर होंगे।
- उपरोक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी।
- संविदा के आधार पर कर्मचारी की सेवाएं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये अपेक्षित है, कार्मिकों की सेवा अवधि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 31.03.2027 तक या नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो तक लगाया जाता है।
- सेवा निवृत्त कार्मिक को मानदेय का भुगतान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- सेवा निवृत्त कर्मचारीगण अपने आवश्यक दस्तावेजात मय आवेदन-पत्र के साथ इस कार्यालय में दिनांक 25.03.2026 को कार्यालय समय तक आवेदन कर सकते हैं।

6. उक्त पदों के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग (जिला न्यायालय परिसर) के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:-

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
2. अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति
3. पीपीओ की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न है)


सचिव,

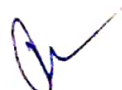
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग)
डीग (राज0)

क्रमांक :- 1211-1219

दिनांक:- 23.03.26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायालय, डीग
3. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, डीग को समस्त अधीनस्थ विभागों/ में सूचित करने बाबत।
5. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
6. श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, कान्हा/नगर
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, डीग को जिला न्यायालय, डीग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग।
9. आदेश संबंधित पत्रावली।


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग)
डीग (राज0)

"HELP THE NEEDY-TIMELY HELP MAY CREATE HISTORY"



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग (राज0)
(जिला न्यायालय परिसर, डीग)

ई-मेल :- dlsa39deeg@gmail.com

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम:-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता मय मोबाईल नंबर:-
5. आयु (दिनांक 01.01.2027):- वर्ष माह दिन
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं:-
7. मूल विभाग का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद:-
9. अनुभव:-
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैंड वेतन, ग्रेड पे)
एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्वंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्वंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक:-

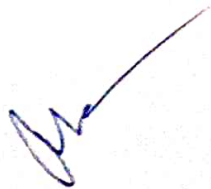
हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसे द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रुपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील



"HELP THE NEEDY-TIMELY HELP MAY CREATE HISTORY"